

कारपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर  
का पेंशन पुनरीक्षण विवरण

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
1	श्री कृष्ण कुमार अवस्थी	अवर अभियन्ता	गोण्डा	743	18.01.19
2	श्रीमती कुसुमलता श्रीवास्तव	कार्यालय सहायक-द्वितीय	लखनऊ	2384	07.12.18
3	श्री मो० अहमद	अवर अभियन्ता	लखनऊ	2579	12.12.18
4	श्री राज कुमार	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	3033	31.12.18
5	श्री गिरीश कुमार पाण्डेय	अवर अभियन्ता	गाजीपुर	1016	25.01.19
6	श्री मोहम्मद यहिया	अवर अभियन्ता	बस्ती	1020	25.01.19
7	श्री विजय प्रताप सिंह	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1032	25.01.19
8	श्री आनन्द मोहन सकसेना	अवर अभियन्ता	आगरा	1033	25.01.19
9	श्रीमती गायत्री मिश्रा पत्नी स्व० कृष्ण कान्त मिश्रा	अवर अभियन्ता	वाराणसी	1035	25.01.19
10	श्री पुरुषोत्तम सरन शर्मा	अवर अभियन्ता	बुलन्दशहर	1038	25.01.19
11	श्री कुवर पाल	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1040	25.01.19
12	श्री अजहर अली	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1046	25.01.19
13	श्री जगदीश कुमार यादव	अवर अभियन्ता	आगरा	1047	25.01.19
14	श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	वाराणसी	1066	29.01.19
15	श्री विनोद कुमार	अवर अभियन्ता	बरेली	1067	29.01.19
16	श्री सतीश कुमार शर्मा	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	1068	29.01.19
17	श्री दर्शन लाल कालरा	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1072	29.01.19
18	श्री बृज भूषण त्यागी	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1073	29.01.19
19	श्री सुरेन्द्र कुमार रस्तोगी	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1077	29.01.19
20	श्री प्राणेश चन्द्र चौधरी	संगणक	लखनऊ	1101	29.01.19
21	श्री सत्य पाल सिंह	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1109	29.01.19
22	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	अवर अभियन्ता	बुलन्दशहर	1112	29.01.19
23	श्रीमती कुमुद लता देवी पत्नी स्व० अम्बिका प्रसाद	अवर अभियन्ता	वाराणसी	1121	29.01.19
24	श्री हरीश चन्द्र बाजपेयी	संगणक	लखनऊ	1122	29.01.19
25	श्री रम्या कृष्ण गुप्ता	अवर अभियन्ता	सिद्धार्थनगर	1123	29.01.19
26	श्री सत्येन्द्र पाल सिंह	अवर अभियन्ता	मेरठ	1126	29.01.19
27	श्री घमण्डी लाल गुप्ता	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद	1127	29.01.19
28	श्री बदी प्रसाद शुक्ला	अवर अभियन्ता	मऊ	1128	29.01.19
29	श्री मोहर सिंह	अवर अभियन्ता	बुलन्दशहर	1132	29.01.19
30	श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० लक्ष्मण सिंह राणा	अवर अभियन्ता	मेरठ	1133	29.01.19
31	श्री हरीशरण	अवर अभियन्ता	मथुरा	1135	29.01.19
32	श्री तिलक सिंह यादव	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1048	28.01.19
33	श्री सुभाष चन्द्र	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	1201	30.01.19
34	श्री सैय्यद अली मन्जर	आशुलिपिक	लखनऊ	1202	30.01.19
35	श्री चकेश्वर प्रसाद जैन	अवर अभियन्ता	सहारनपुर	1138	30.01.19
36	श्री आशा राम मिश्रा	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1152	30.01.19
37	श्री भारतेन्दु नाथ	अवर अभियन्ता	लखनऊ	1136	30.01.19
38	श्री सैय्यद यासीन अहमद	अवर अभियन्ता	बरेली	1142	30.01.19
39	श्री भूमित्र शर्मा	अवर अभियन्ता	हाथरस	1137	30.01.19
40	श्री बेचू लाल	अवर अभियन्ता	बस्ती	1144	30.01.19
41	श्रीमती सरोज कौशल पत्नी स्व० निरंकार नाथ कौशल	अवर अभियन्ता	फतेहगढ़ (फर्रुखपुरा जिले)	1150	30.01.19
42	श्री महेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता	एटा	1143	30.01.19

क्रमांक	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	पदनाम	कोषागार का नाम	डिस्पैच	दिनांक
43	श्री अभय कुमार जैन	अवर अभियन्ता	मेरठ	1139	30.01.19
44	श्री रमा शंकर सिंह	अवर अभियन्ता	आजमगढ़	1141	30.01.19
45	श्रीमती बाला जैन पत्नी स्व० राकेश कुमार जैन	अवर अभियन्ता	अलीगढ़	1140	30.01.19
46	श्री सुरेश चन्द्र	अवर अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	1225	31.01.19
47	श्री मोहम्मद अतीक	अवर अभियन्ता	मुरादाबाद	1259	31.01.19
48	श्री देवेन्द्र मिश्र	अवर अभियन्ता	प्रयागराज	1216	31.01.19
49	श्री ऊदल सिंह	अवर अभियन्ता	आगरा	1271	31.01.19
50	श्री शिव सागर राम	अवर अभियन्ता	रायबरेली	1260	31.01.19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 743/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/525/01-02

दिनांक: 18.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
गोण्डा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	554 दिनांक 13.09.2001
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मालती अवस्थी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	29.06.1946
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	8550-13500
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	8550-13500
(घ) वेतन	:	10475/-
(ङ) मूल पेंशन	:	4934/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1794/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3140/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	4934/-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3143/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	63 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	65200/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	32600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	31119/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	31119/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1794/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	29325/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	19560/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 743/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/525/01-02 दिनांक: 18.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा।

3. श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-शान्ति एकसरे क्लिनिक, दुखहरन नाथ मंदिर, गोण्डा।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेंटर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

सम बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2384 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6123 / 14-15

दिनांक: 07.12.2018

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती कुसुमलता श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्या० सहा०-द्वितीय की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती कुसुमलता श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्या० सहा०-द्वितीय की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5158 दिनांक 22.07.2014
(ग) जन्मतिथि	:	10.03.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि : 31.03.2014  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छँटा वेतनमान  
 (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे०पे० 4800  
 (घ) वेतन : 14820 + 4800 = 19620 /-  
 (ङ) मूल पेंशन : 9810 /-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3924 /-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 5886 /-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : लागू नहीं  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेमेंटिक्स : 08  
 (ख) निर्धारित वेतन : 50500 /-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%) : 25250 /-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 23800 /-  
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 25250 /-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3924 /-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 21326 /-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : लागू नहीं  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2384 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6123 / 14-15 दिनांक: 07.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्रीमती कुसुमलता श्रीवास्तव, से०नि० कार्या० सहा०-द्वितीय, निवासी-551/क/183 बी, भित्तावाँ, आलमबाग, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2579/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1291/03-04  
मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आर्दश कोषागार,  
लखनऊ।

दिनांक: 12.12.2018

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मो० अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मो० अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1369 दिनांक 05.08.2003
(ग) जन्मतिथि	:	30.12.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सोफिया बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- |                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.12.2002                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000               |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 5508/-                    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2203/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3305/-                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3975/-                    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 55 छमाही                  |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	57959/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2257/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63293/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2579/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1291/03-04 दिनांक: 12.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर।
- श्री मो० अहमद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- 656/5/911, सीमान्त नगर, कल्याणपुर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत  
पंजीकृत-

राम कानुन  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कारपोरेशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 3033/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2664/06-07

दिनांक: 31.12.2018

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राजकुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राजकुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2867 दिनांक 10.07.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रभा देवी श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1950
- |                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.12.2003  |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 10000/-     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2734/-      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7266/-      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 10000/-     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8000/-      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही    |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2734/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66816/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	69550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3033/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2664/06-07 दिनांक: 31.12.2018  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
- श्री राजकुमार, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- 180ए/6, बकसी कलों, दारागंज, प्रयागराज
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1016 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5207 / 13-14

दिनांक: 25.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजीपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री गिरीश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री गिरीश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	55 दिनांक 05.08.2013
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मंजू पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	27.06.1953

2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि (अनिवार्य सेवानिवृत्त)

(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	8550-13500
(घ) वेतन	:	10475 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	4682 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	4682 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3143 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पैमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	65200 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	32600 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	29143 /-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	29143 /-

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनःस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आरम्भित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1016 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5207 / 13-14 दिनांक: 25.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड- द्वितीय, गाजीपुर को सेवामुक्तिका मूलरूप से सलान कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजीपुर।
- श्री गिरीश कुमार पाण्डेय, सं०अभि० अवर अभियन्ता, निवासी-1 / 128 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



संख्या: 1020/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2811/06-07

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बस्ती।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मोहम्मद यहिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मोहम्मद यहिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3044 दिनांक 08.11.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती हाजरा बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेड पे० 8900
(घ) वेतन	:	46310 + 8900 = 55210/-
(ङ) मूल पेंशन	:	27605/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6438/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	21167/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	16563/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

## 3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-

## 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6438/-

## 5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

(च) पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65212/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1020/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2811/06-07 दिनांक: 25.01.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बस्ती को सेवापुरिस्तका मूलरूप में सलन कर प्रेषित।
3. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बस्ती।
4. श्री मोहम्मद यहिया, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्र०-देवरिया, पी०-पचपोखरी, जनपद-संतकबीनर नगर।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1032/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2845/06-07

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री विजय प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री विजय प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3106 दिनांक 22.12.2006
(ग) जन्मतिथि	:	16.03.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुशीला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	08.08.1952
- |                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.03.2006                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवें वेतनमान             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 37400-87000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन                         | : | 46310+8900=55210/-        |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 26351/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6080/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 20271/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 16563/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                  |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदोक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6080/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65570/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1032/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2845/06-07  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 25.01.19

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री विजय प्रताप सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, न०न० 36/2, सेक्टर-5 गीता पल्ली, आलमबाग लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1033/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2542/06-07

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
आगरा।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री आनन्द मोहन सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री आनन्द मोहन सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2757 दिनांक 05.05.2006
(ग) जन्मतिथि	:	10.12.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कृष्णा सक्सेना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.07.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000+10000=30000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14697/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3887/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10810/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3887/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65663/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1033/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2542/06-07 दिनांक: 25.01.19

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय आगरा को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा।
4. श्री आनन्द मोहन सक्सेना, सं०नि० अवर अभियन्ता, 32 गजाधर घाम, दयाल बाग, आगरा।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

हाइडिल



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1035/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3074/07-08

दिनांक: 25.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती गायत्री मिश्रा पत्नी स्व० कृष्ण कान्त मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती गायत्री मिश्रा पत्नी स्व० कृष्ण कान्त मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3344 दिनांक 17.08.2007
(ग) जन्मतिथि	:	02.08.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गायत्री मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	04.04.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	लागू नहीं

दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) मैट्रिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

3. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 के संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

4. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शरारत की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1035/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3074/07 08 दिनांक: 25.01.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय, वाराणसी, को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
4. श्रीमती गायत्री मिश्रा पत्नी स्व० कृष्ण कान्त मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- ग्रा०-सी-21/91, महामंडल नगर, लहुरावीर, वाराणसी।
5. सचिव, उ०प० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1038/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6007/13-14

दिनांक: 25.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम सरन शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम सरन शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है -

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5049 दिनांक 30.01.2014
(ग) जन्मतिथि	:	30.08.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुधा शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- |                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.08.2013               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवां वेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रेडपे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 28190 + 6600 = 34790/-   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 17395/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 17395/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10437/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |
- दिनांक 01.01.2016 को परिश्रेणीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -
 

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	90300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	45150/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	45150/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो युका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	45150/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	27090/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1038/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6007/13-14 दिनांक: 25.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, बुलन्दशहर को सेवापुरितका मूलरूप को संलग्न कर प्रेषित।
- श्री पुरुषोत्तम सरन शर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बी-472, यमुनापुरम, बुलन्दशहर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1040/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6229/14-15

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,  
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कुवर पाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कुवर पाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	: अधिवर्धता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	: 5262 दिनांक 12.12.2014
(ग) जन्मतिथि	: 01.01.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	: श्रीमती बाला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	: अंकित नहीं
- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : 31.12.2011              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : छठवा वेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : 9300-34800 ग्रेडपी 6600 |
| (घ) वेतन                         | : 25260 + 6600 = 31860/-  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : 15770/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : 6308/-                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : 9462/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : लागू नहीं               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : 9558/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : 40 छमाही                |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विहित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	: 09
(ख) निर्धारित वेतन	: 82600/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	: 41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	: लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेंटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	: 26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्थ होगी (राशिकरण से पूर्व)	: 41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	: 6308/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	: 34992/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	: लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	: 24780/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	: लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1040/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6229/14-15 दिनांक: 25.01.19

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत निर्माण एवं कार्य खण्ड, सहारनपुर को सेवापुरितका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
- श्री कुवर पाल, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-2 बी/2218, शिवाजी नगर, दिल्ली रोड, सहारनपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

25/1/19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1046/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4225/08-09

दिनांक: 25.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अजहर अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अजहर अली, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5919 दिनांक 16.10.2017
(ग) जन्मतिथि	:	03.06.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कमलेश
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.01.1950
- |                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.06.2004              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000             |
| (घ) वेतन                         | : | 20000 + 10000 = 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 12955/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2626/-                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10329/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 57 छमाही                |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेंमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	60066/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2626/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62924/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वार संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1046/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4225/08-09  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 25.01.19

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर को सेवापुस्तिका मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
- श्री अजहर अली, रो०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-157, पुरानी तहसील, रूडकी, हरिद्वार।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1047 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2866 / 06-07

दिनांक: 25.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
आगरा।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री जगदीश कुमार यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री जगदीश कुमार यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3101 दिनांक 18.12.2006
(ग) जन्मतिथि	:	03.12.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमलेश यादव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- |                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.12.2004              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000             |
| (घ) वेतन                         | : | 20000 + 10000 = 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 13637/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3879/-                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9758/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 60 छमाही                |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	63228/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3879/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये	:	61671/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का युगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के युगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1047 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2866 / 06-07  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 25.01.19

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बी-672, कमला नगर, आगरा को सेवापुरितका मूलरूप से संलान कर प्रेषित।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आगरा।
- श्री जगदीश कुमार यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-151, मानस नगर, शांहराज, आगरा-282010.
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1066/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2514/06-07

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3490 दिनांक 26.02.2008
(ग) जन्मतिथि	:	10.02.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शान्ती श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- |                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 29.02.2004   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000  |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-      |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 10000/-      |
| (च) पेंशन का राशिकृत माग         | : | 2689/-       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त छटी पेंशन | : | 7311/-       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं    |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-       |
| (ण) पेंशन गोर्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही     |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेंमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन गैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमान्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2689/-
(च) राशिकरण के बाद छटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो युक्त है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66861/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1066/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2514/06-07 दिनांक: 29.01.2019  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, 3000 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण रुण्ड प्रथम, वाराणसी।
- श्री रवीश चन्द्र श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-अशोक पुरम कालोनी, प्लॉट नं०-22, गीरापुर, वाराणसी।
- सचिव, 3000 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1067 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4210 / 08-09

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बरेली।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3819 दिनांक 21.07.2008
(ग) जन्मतिथि	:	26.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुषमा पटेल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.07.1953
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000 + 10000 = 30000
(ङ) मूल पेंशन	:	14091/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3972/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10119/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	62 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	65335/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3972/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	61578/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1067 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4210 / 08-09 दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बरेली।
- श्री विनोद कुमार, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-224, राजनगर, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1068/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5192/13-14

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सतीश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सतीश कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण  
(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता  
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 4931 दिनांक 08.07.2013  
(ग) जन्मतिथि : 20.07.1952  
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती विमला शर्मा  
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 05.11.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2012  
(ख) तत्काल्य लागू वेतनमान : छेठवां वेतनमान  
(ग) वेतनमान/वेतन बेस(ग्रेड पे) : 37400-67000 ग्रेड पे 8900  
(घ) वेतन : 59040 + 8900 = 67940/-  
(ङ) मूल पेंशन : 33970/-  
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 13588/-  
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 20382/-  
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं  
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 20382/-  
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
(क) पैगैटिवर : 13  
(ख) निर्धारित वेतन : 176200/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 88100/-  
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 65550/-  
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 88100/-  
(ङ) राशिकृत पेंशन : 13588/-  
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 74512/-  
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं  
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 52860/-  
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त मिन्टु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतन वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतन के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1068/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5192/13-14 दिनांक: 29.01.2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अभियन्ता, वेब, स०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरिय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।

3. श्री सतीश कुमार शर्मा, स०गि० अवर अभियन्ता, निवासी-457, कम्बल वाला बाग, नई गण्डी, मुजफ्फरनगर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -  
पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1072/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/643/01-02

दिनांक: 29.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री दर्शन लाल कालरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री दर्शन लाल कालरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	683 दिनांक 01.02.2002
(ग) जन्मतिथि	:	24.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुदेश कालरा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	18.03.1944
- |                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2001   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रैड पे)   | : | 16400-20000  |
| (घ) वेतन                         | : | 19100/-      |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8702/-       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2593/-       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6109/-       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं    |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5730/-       |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 61 छमाही     |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) मैट्रिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	62387/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2593/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62957/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा. दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1072/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/643/01-02 दिनांक: 29.01.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०१० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरिय विवरण खण्ड प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री दर्शन लाल कालरा, सं०१० अवर अभियन्ता, निवासी के०ए०-108, कविनगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०१० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1073/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/429/01-02

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बृज गूषण त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बृज गूषण त्यागी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पीपीओ संख्या एवं दिनांक	446 दिनांक 01.06.2001
(ग) जन्मतिथि	16.12.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरिता त्यागी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | 31.12.2000   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | 16400-20000  |
| (घ) वेतन                         | लागू नहीं    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | 23434/-      |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | 2678/-       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 20756/-      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | लागू नहीं    |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 14730/-      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 83 छमाही     |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	13
(ख) निर्धारित वेतन	131100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	65550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	62571/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगन्ध होगी (राशिकरण से पूर्व)	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	2678/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो युक्त है तो उसका रजिमान न लिया जाये	62872/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	39330/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1073/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/429/01-02 दिनांक: 29.01.2019

प्रतिष्ठिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय विवरण खण्ड-प्रथम, कमला, नेहरू नगर, गाजियाबाद।
- श्री बृज गूषण त्यागी, सी०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एस०डी० 262, सारनी नगर, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1077/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1404/03-04

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सुरेन्द्र कुमार रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सुरेन्द्र कुमार रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिषर्कता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1531 दिनांक 25.11.2003
(ग) जन्मतिथि	:	15.08.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरिता रस्तोगी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	14.01.1949
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10000/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2942/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7058/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को पश्चिमीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन गैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2942/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66608/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुक्तान वर्तमान में शारून द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुक्तान के सम्बन्ध में शारून की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इरा सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

गवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1077/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1404/03-04 दिनांक: 29.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अभियन्ता अभियन्ता, वेब, 3040 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अभियन्ता अभियन्ता, निवृत्त वितरण खण्ड-ग्रथग, सहारनपुर।
- श्री सुरेन्द्र कुमार रस्तोगी, सी०ओ० अवर अभियन्ता, निवासी-405, अमन कोसटेल अपार्टमेंट, सं०-04, वैशाली, याजियाबाद।
- सचिव, 3040 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-


लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1101/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2164/04-05

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री प्राणेश चन्द्र चौधरी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री प्राणेश चन्द्र चौधरी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2352 दिनांक 28.06.2005
(ग) जन्मतिथि	:	02.02.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती स्मृति चौधरी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 28.02.2005  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : पंचम वेतनमान  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 8550 -13500  
 (घ) वेतन : 12125/-  
 (ङ) मूल पेंशन : 9074/-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 2200/-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 6874/-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 5457/-  
 (ण) पेंशन योग्य अईकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेंमेंटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 73400/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन--  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 36700/-  
 (ख) पेंशन हेतु अईकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-  
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमय होगी (राशिकरण से पूर्व) : 36700/-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 2200/-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 34500/-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 22020/-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1101/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2164/04-05 दिनांक: 29.01.2019  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेद, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विपुल एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री प्राणेश चन्द्र चौधरी, से०नि० संगणक, निवासी-325, शक्ति नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1109/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5229/13-14

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सहारनपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सत्य पाल सिंह, रोवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सत्य पाल सिंह, रोवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5046 दिनांक 27.01.2014
(ग) जन्मतिथि	:	21.05.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुलदीप कौर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2.
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवें वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैर(घेड घे)	:	9300 + 34800 प्रोपे० 6600
(घ) वेतन	:	26180 + 6600 = 32780/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16390/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6556/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9834/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9834/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पैमेटिका	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन -
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन गेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6556/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका राजान न लिया जाये	:	35994/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	25530/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1109/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5229/13-14 दिनांक: 29.01.2019  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
3. श्री सत्य पाल सिंह, सै०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गली नं०-04, दरबारी, बाय वाली गली, लक्की हलवाई के सामने शारदा नगर, सहारनपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1112/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6690/16-17

दिनांक: 29.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्धता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5765 दिनांक 07.02.2017
(ग) जन्मतिथि	:	09.01.1953
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती लज्जा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	15.11.1965
- सेवानिकृत/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिकृत/मृत्यु तिथि	:	31.01.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेडपे 5400
(घ) वेतन	:	25870 + 5400 = 31270/-
(ङ) मूल पेंशन	:	15635/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6254/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9381/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन सामारण दर पर	:	9381/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विकीर्तित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को राशिकृत पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन गैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लागू प्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	8254/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	35046/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (सही हुई दर पर)	:	41300/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (सामारण दर पर)	:	24780/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1112/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6690/16-17 दिनांक: 29.01.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसाक्षी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसाक्षी अभियन्ता, विद्युत विवरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
- श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, निवासी-भाग वीर खेडा, पोस्ट-बदेल, तहसील-शिकन्दरबाद, बुलन्दशहर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इग्नलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1121/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/242/2000-01  
मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

दिनांक: 29.01.19

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती कुमुद लता देवी पत्नी स्व० अम्बिका प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती कुमुद लता देवी पत्नी स्व० अम्बिका प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	272 दिनांक 25.11.2000
(ग) जन्मतिथि	:	14.01.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती कुमुद लता देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	11.07.1954
- |                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 23.01.2000   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 8550-13500   |
| (घ) वेतन                         | : | 9375/-       |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं    |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2813/-       |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | लागू नहीं    |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पैमेटिक्स	:	9
(ख) निर्धारित वेतन	:	59700/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	17910/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1121/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/242/2000-01 दिनांक: 29.01.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्रीमती कुमुद लता देवी पत्नी स्व० अम्बिका प्रसाद, सं०नि० अवर अभियन्ता, ए-26 कुन्ती विहार कालोनी सारंग तालाब पाण्डेयपुर वाराणसी।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1122/गु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4766/11-12

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरीश चन्द्र बाजपेयी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरीश चन्द्र बाजपेयी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4485 दिनांक 04.08.2011
(ग) जन्मतिथि	:	15.06.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती माया बाजपेयी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.01.1951
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवीं वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेडपे 5400
(घ) वेतन	:	27040+5400=32440/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16220/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6488/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9732/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	16220/- दि० 30.06.2021
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9732/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विधीक्षित पत्र सं० दिनांक द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पैमेटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन पैमेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6488/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	36062/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	42550/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	25530/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उभयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

गवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1122/गु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4766/11-12 दिनांक: 29.01.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत उपकेंद्र परिकल्पना मण्डल, 13 गीं तल, शक्ति भवन, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप से सतर्क कर प्रेषित।
- श्री हरीश चन्द्र बाजपेयी, से०नि० संगणक, 122-सी, नया सरकारी खेड़ा आलमबाग, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1123 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6125 / 14-15

दिनांक: 29.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सिद्धार्थनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राधा कृष्ण गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राधा कृष्ण गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5157 दिनांक 24.07.2014
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रेडपे 6600
(घ) वेतन	:	26180+6600=32780 / -
(ङ) मूल पेंशन	:	16390 / -
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6556 / -
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9834 / -
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9834 / -
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्वेषित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100 / -
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550 / -
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6556 / -
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जाये	:	35994 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	25530 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6125 / 14-15 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसाक्षी अभियन्ता, वेब, उ०५० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसाक्षी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर।
- श्री राधा कृष्ण गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-धरौली उसका रोड हुसैनगंज, पो०-तेतरी बाजार, सिद्धार्थनगर।
- सचिव, उ०५० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1126 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 542 / 01-02

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मेरठ।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सत्येन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सत्येन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	651 दिनांक 27.12.2001
(ग) जन्मतिथि	:	20.06.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरोज रानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	13.10.1959
- सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	30.06.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	19550 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	7833 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2067 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5766 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5865 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	54 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पैमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 /-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	56905 /-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2067 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63483 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगभित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1126 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 542 / 01-02 दिनांक: 29.01.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, विकटोरिया पार्क, मेरठ।
- श्री सत्येन्द्र पाल सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-फूलबाग कालोनी, मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1127/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2883/06-07

दिनांक: 29.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री घमन्डी लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री घमन्डी लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3119 दिनांक 29.12.2006
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रक्षा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	07.07.1949
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बेड(ग्रेड में)	:	37400 -67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	46310 + 8900 = 55210/-
(ङ) मूल पेंशन	:	27605/-
(च) पेंशन का राशिकृत नाम	:	4326/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	23279/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	16563/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-
 

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	143300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	71650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	71650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4326/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67324/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	42990/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

महदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1127/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2883/06-07 दिनांक: 29.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
- श्री घमन्डी लाल गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवारी-4/182, एफ-02, वैशाली, गाजियाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1128 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 888 / 99-2000

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मऊ।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री बर्दी प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री बर्दी प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	994 दिनांक 26.10.1999
(ग) जन्मतिथि	:	13.09.1937
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती राम कुमारी शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	06.08.1941
- |                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि    | : | 30.09.1995     |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | चतुर्थ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 3400-4750      |
| (घ) वेतन                         | : | 3625 / -       |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 1840 / -       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 613 / -        |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 1227 / -       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं      |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 612 / -        |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 61 छमाही       |
- दिनांक 01.01.2018 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	74000 / -
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	37000 / -
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	34197 / -
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850 / -
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	34197 / -
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	34197 / -
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	22200 / -
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	6840 / - दि० 12.09.2017 से
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1128 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 888 / 99-2000 दिनांक: 29.01.19

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, मऊ।
- श्री बर्दी प्रसाद शुक्ला, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम ब पोस्ट-कोपगंज, जिला-मऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1132/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6641/16-17

दिनांक: 29.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मोहर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मोहर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिधर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5717 दिनांक 13.10.2016
(ग) जन्मतिथि	:	12.08.1955
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रेम लता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.08.1962
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.08.2015
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	24810+6600=31410/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14515/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	5806/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	8709/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	14515/- दि० 11.08.2022 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9423/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेंसिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	82600/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41300/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41300/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	5806/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	35494/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	41300/- दि० 11.08.2022 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	24780/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1132/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6641/16-17 दिनांक: 29.01.19

प्रतिस्तिप्ति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बुलन्दशहर।
- श्री मोहर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, म०नि०-497 शान्ति निकेतन द्वितीय, नुमाईश मैदान बुलन्दशहर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



संख्या: 1133/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6746/17-18

दिनांक: 29.01.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० लक्ष्मण सिंह राणा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० लक्ष्मण सिंह राणा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5830 दिनांक 22.05.2017
(ग) जन्मतिथि	:	02.02.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शीला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.05.1957
- |                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 29.02.2012               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवाँ वेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300 34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 25560+6600=32160/-       |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 16080/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6432/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9648/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 16080 दि० 01.02.2019     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9648/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० ... दिनांक ... द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) ऐमैटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	42550/- दि० 01.02.2019 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	25530/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (अगु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1133/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6746/17-18 दिनांक: 29.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वेतनरूप खण्ड प्रथम मेरठ।

3. श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व० लक्ष्मण सिंह राणा, से०नि० अवर अभियन्ता, मी० शेखजादगान 5 कांघला, शापली उ०प्र०।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज्ज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1135 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6501 / 15-16

दिनांक: 29.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मथुरा।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरीशरण, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरीशरण, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5594 दिनांक 26.05.2016
(ग) जन्मतिथि	:	01.07.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छँलवा भेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 4200
(घ) वेतन	:	14770 + 4200 = 18970 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	9485 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3794 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	5691 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	9485 /-
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5691 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	06
(ख) निर्धारित वेतन	:	49400 /-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	24700 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	18400 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	24700 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3794 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	20906 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	24700 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	14820 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1135 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6501 / 15-16 दिनांक: 29.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।
3. श्री हरीशरण, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गोंव-कारब, पो०-बराब, थाना-राया, जिला-मथुरा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम कलाशर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1048 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1891 / 04-05

दिनांक: 28.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अलीगढ़।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री तिलक सिंह यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री तिलक सिंह यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2045 दिनांक 18.12.2004
(ग) जन्मतिथि	:	15.08.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सोनकली
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.01.1946
- सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि	:	31.08.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000 /-
(ङ) मूल पेंशन	:	10000 /-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2936 /-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	7064 /-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6000 /-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-
 

(क) पैमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100 /-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)	:	69550 /-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550 /-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550 /-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2936 /-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	66614 /-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730 /-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1048 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1891 / 04-05 दिनांक: 28.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अलीगढ़।
- श्री तिलक सिंह यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-3/503, बेगपुर, अलीगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1201/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2961/06-07

दिनांक: 30.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सुभाष चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सुभाष चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3177 दिनांक 08.03.2007
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रंजना भटनागर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नही

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.12.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम मेटनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	18650/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8256/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2171/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6085/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5595/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	59 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	60341/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2171/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63379/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (प) में आणकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1201/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2961/06-07 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय, मझौला, मुरादाबाद को सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
4. श्री सुभाष चन्द्र, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सी-53, गांधी नगर, मुरादाबाद।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1202/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2728/06-07

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सैयद अली मन्जर, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सैयद अली मन्जर, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवषता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2965 दिनांक 15.09.2006
(ग) जन्मतिथि	:	12.06.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती अनीस फारूका
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.06.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पचम मैनमान
(ग) वेतनमान/वेतन डैड(ग्रेड पे)	:	10650-15200
(घ) वेतन	:	13575/-
(ङ) मूल पेंशन	:	10109/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3300/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6809/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6109/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	83300/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	41650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	41650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3300/-

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 29.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शारान द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1202/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2728/06-07 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परेषण खण्ड, शक्ति भवन, लखनऊ को सेवापुरितका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन रोल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. श्री सैयद अली मन्जर, सं०नि० आशुलिपिक, गिनासी-सी-78, से०-क, अलीगज, लखनऊ।
5. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1138/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1006/02-03

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सहारनपुर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री चकेश्वर प्रसाद जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री चकेश्वर प्रसाद जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1203 दिनांक 01.04.2003
(ग) जन्मतिथि	:	13.07.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती विमलेश जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	20.12.1947
- |                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2002  |
| (ख) तत्काल्य लागू वेतनमान        | : | पचम स्तरमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000 |
| (घ) वेतन                         | : | 19550/-     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9753/-      |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2513/-      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7240/-      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं   |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5865/-      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही    |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) मैट्रिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	69550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2513/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	67037/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो क भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1138/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1006/02-03 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
- श्री चकेश्वर प्रसाद जैन, से०भि० अवर अभियन्ता, निवासी-मौ०-शोरपियान, छत्ता जम्बूदास, सहारनपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1152/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5109/12-13

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री आशा राम मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री आशा राम मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	4837 दिनांक 22.03.2013
(ग) जन्मतिथि	:	08.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शकुन्तला देवी मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
2. सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.07.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवाँ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	9300-34800 ग्रे०पे० 6600
(घ) वेतन	:	25910 + 6600 = 32510/-
(ङ) मूल पेंशन	:	16255/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	6502/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	9753/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9753/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	85100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	42550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.06.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	42550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	6502/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	36048/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	25530/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ता-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का युगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1152/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5109/12-13 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री आशा राम मिश्रा, सं०नि० अवर अभियन्ता, गिवासी-77, अवध विहार कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1136/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1273/03-04

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भारतेन्दु नाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भारतेन्दु नाथ, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षतः
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1338 दिनांक 19.07.2003
(ग) जन्मतिथि	:	15.11.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती रूप रानी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं

2.

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम मेलनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	10650-15200
(घ) वेतन	:	13250/-
(ङ) मूल पेंशन	:	6544/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2617/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3927/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	6544/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही

3.

दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	11
(ख) निर्धारित वेतन	:	80900/-

4.

प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)	:	40450/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	33850/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	40450/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2617/-

5.

कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1136/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1273/03-04 दिनांक: 30.01.19  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लेसा रहीमनगर, लखनऊ।
3. श्री भारतेन्दु नाथ, सी०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ए-1077/4, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

30/1/19



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1142/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2828/06-07

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बरेली।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सैय्यद यासीन अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सैय्यद यासीन अहमद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3068 दिनांक 28.11.2006
(ग) जन्मतिथि	:	15.10.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती प्रवीन अहमद
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	06.12.1960
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.10.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000+10000= 30000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14773/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4078/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	10695/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	65 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विहित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पैमेटियस	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	68497/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	68497/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4078/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	64419/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1142/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2828/06-07 दिनांक: 30.01.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-पथम बरेली।
- श्री महेन्द्र सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, म०स० ०१, कोठी मोईन खॉं, किला बरेली।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1137 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1650 / 04-05

दिनांक: 30.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
हाथरस।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री भूमित्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री भूमित्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1739 दिनांक 22.04.2004
(ग) जन्मतिथि	:	05.01.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सुशीला शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- |                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.01.2003   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम मेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000  |
| (घ) वेतन                         | : | 18200/-      |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9055/-       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2442/-       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6613/-       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं    |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5460/-       |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छागाही    |
- दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विहित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	135000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	67500/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67500/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2442/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	65058/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	40500/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1137 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1650 / 04-05 दिनांक: 30.01.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यनाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, देव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस।
- श्री भूमित्र शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-चित्रगुप्त नगर, जि०-हाथरस।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1144 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6476 / 15-16

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बस्ती।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री बेचू लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री बेचू लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	5535 दिनांक 11.01.2016
(ग) जन्मतिथि	:	01.01.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती गीना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	01.01.1960
- |                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.12.2013               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छठवाँ वेतनमान            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(पेड पे)     | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 4200 |
| (घ) वेतन                         | : | 17900+4200= 22100/-      |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 11050/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 4420/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6630/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6630/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	06
(ख) निर्धारित वेतन	:	57300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	28650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	18400/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	28650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4420/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जाये	:	24230/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	17190/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1144 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6476 / 15-16 दिनांक: 30.01.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बस्ती।
- श्री बेचू लाल, से०नि० अवर अभियन्ता, खीरी घाट, मडवानगर, बस्ती।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेंटर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 1150/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेशन)/5047/12-13
मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

दिनांक: 30.01.2019

पंजीकृत

जिला कोषागार,
फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या: 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एव आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एव तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सरोज कौशल पत्नी स्व० निरंकर नाथ कौशल, सेवानिवृत्ता अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सरोज कौशल पत्नी स्व० निरंकर नाथ कौशल, सेवानिवृत्ता अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

- 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
(क) पेंशन का प्रकार पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ संख्या एवं दिनांक 4777 दिनांक 05.12.2012
(ग) जन्मतिथि 01.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम श्रीमती सरोज कौशल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि उचित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि 30.05.2001/12.01.2017
(ख) तत्समय लागू वेतन 16400 20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(डेटा) 16400 20000
(घ) पेंशन 19550/-
(ङ) मूल पेंशन लागू नहीं
(च) पेंशन का संश्लेषण लागू नहीं
(छ) राशिकरण के अन्तर्गत दिनांक लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बैंड लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन बैंड लागू नहीं
(ञ) पेंशन योग्य अर्हक ही नहीं 5865/-
64 19-नहीं
3. दिनांक 01.01.2016 की तारीख से लागू पेंशन दर विदीक्षित पत्र सं० दिनांक प्रारंभिक दिनांक रूप से वेतन निर्धारण
(क) पेंमेंटिक्स 13
(ख) निर्धारित वेतन 139100/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 के संशोधित पेंशन
(क) मूल पेंशन जो पेंशन बैंड के अनुसार 16400/20000 लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हक ही नहीं लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन बैंड के अनुसार पेंशन का अनुसार पेंशन लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुसार होगी (राशिकरण से पूर्व) लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद पेंशन बैंड के अनुसार पेंशन पुनर्स्थापित हो तुका ही लागू पेंशन बैंड के अनुसार दिनांक लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन बैंड लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बैंड लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन बैंड लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या: 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपरोक्त विन्दु 4 (ज) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का शुभतान कोनाम में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का चार्जकानुसार पुनरीक्षण/पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इरा सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1150/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेशन)/5047/12-13 दिनांक 30.01.2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1. अधिसारी अभियन्ता, वेब, 30940 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण संचालन विभाग, लखनऊ।
3. श्रीमती सरोज कौशल पत्नी स्व० निरंकर नाथ कौशल, सेवानिवृत्ता अवर अभियन्ता, निवासी स्व० व मो० सेल्मदाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद।
4. सचिव, 30940 पावर सेक्टर इम्प्लाइज प्रुव, शासनादेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018

पंजीकृत

राम ठंडादूर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1143/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4788/11-12

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
एटा।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता  
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 4511 दिनांक 12.09.2011  
(ग) जन्मतिथि : 08.03.1950  
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती चम्पा देवी  
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 15.12.1955

2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 31.03.2010  
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : छठवाँ वेतनमान  
(घ) वेतन : 9300-34800 ग्रेडपे० 5400  
(ङ) मूल पेंशन : 22060+5400= 27460/-  
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : 13730/-  
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 4916/-  
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 8814/-  
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : लागू नहीं  
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 8238/-  
(त) पेंशन दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:- 40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स : 09  
(ख) निर्धारित वेतन : 71300/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 35650/-  
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-  
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्थ होगी (राशिकरण से पूर्व) : 35650/-  
(ङ) राशिकृत पेंशन : 4916/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 30734/-  
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : लागू नहीं  
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : 21390/-  
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1143/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4788/11-12 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, एटा।
3. श्री महेन्द्र सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, मोहल्ला-जमालपुर, पोस्ट-तस्वीर महल, जिला-अलीगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1139/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2977/06-07

दिनांक: 30.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मेरठ।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अभय कुमार जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अभय कुमार जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	3200 दिनांक 24.03.2007
(ग) जन्मतिथि	:	03.07.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती निर्मल जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	10.10.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.07.2006  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : छठवाँ वेतनमान  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेडपै0 5400  
 (घ) वेतन : 22340 + 5400 = 27740/-  
 (ङ) मूल पेंशन : 13870/-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 3282/-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10608/-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बड़ी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 8322/-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पैमेटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 71300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 35650/-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-  
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 35650/-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 3282/-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 32388/-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बड़ी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 21390/-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1139/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2977/06-07 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री अभय कुमार जैन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-47/12-आई, से०-03, विद्यानगर, मेरठ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1141/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2613/06-07

दिनांक: 30.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रमा शंकर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रमा शंकर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2887 दिनांक 26.07.2006
(ग) जन्मतिथि	:	03.11.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती आशा सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- |                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.11.2005           |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान         |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000          |
| (घ) वेतन                         | : | 20000+10000= 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 14319/-              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3980/-               |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10339/-              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं            |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-               |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 63 छमाही             |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा दिदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	66389/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	66389/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3980/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	62409/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1141/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2613/06-07 दिनांक: 30.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम आजमगढ़।
- श्री रमा शंकर सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-कुम्भ, पोस्ट-मीरा(बरदह), जिला-आजमगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

रमा शंकर सिंह

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1140/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/495/97-98

दिनांक: 30.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती बाला जैन पत्नी स्व० राकेश जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती बाला जैन पत्नी स्व० राकेश कुमार जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	595 दिनांक 09.05.1997
(ग) जन्मतिथि	:	30.05.1956
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शशिबाला जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	19.12.1956
- |                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 15.04.1994     |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | चतुर्थ वेतनमान |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 2600-4000      |
| (घ) वेतन                         | : | 2675/-         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं      |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं      |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 594/-          |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | लागू नहीं      |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	58000/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	लागू नहीं
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	17400/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1140/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/495/97-98 दिनांक: 30.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर अलीगढ़।
- श्रीमती बाला जैन पत्नी स्व० राकेश कुमार जैन, सं०नि० अवर अभियन्ता, रायल होम्स कालोनी, ग०न० 56, गन्दिर के निकट रामघाट रोड़ अलीगढ़।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

पंजीकृत-  
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1225/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1544/03-04

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

मुजफ्फरनगर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	1621 दिनांक 03.02.2004
(ग) जन्मतिथि	:	04.03.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	12.02.1953
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.02.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	16400-20000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ) वेतन	:	19550/-
(ङ) मूल पेंशन	:	5673/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	2269/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	3404/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	3683/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	61 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	64281/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन गैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	65550/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	2269/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनरस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	63281/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1225/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन-1)/1544/03-04 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
3. श्री सुरेश चन्द्र, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-कुन्द-कुन्द विहार, टावर वाली गली जमुना विहार, खतोली, मुजफ्फरनगर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1259/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2274/04-05

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुरादाबाद।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री मोहम्मद अतीक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री मोहम्मद अतीक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	2504 दिनांक 20.10.2005
(ग) जन्मतिथि	:	02.05.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शाहीन बेगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.05.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम मेटनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)	:	8550-13500
(घ) वेतन	:	11300 + 5650 = 16950/-
(ङ) मूल पेंशन	:	8475/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	1928/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	6547/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	5085/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	66 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पेमेंटिक्स	:	09
(ख) निर्धारित वेतन	:	69200/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	34600/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मेटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	26550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	34600/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	1928/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	32672/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	20760/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1259/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2274/04-05 दिनांक: 31.01.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूचनी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसूचनी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।
- श्री मोहम्मद अतीक, र०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गानपुर कटरा, अनाज रोड, मस्जिद वाली गली, मुरादाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1216/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4290/08-09

दिनांक: 31.01.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री देवेन्द्र मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री देवेन्द्र मिश्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3888 दिनांक 02.02.2009
(ग) जन्मतिथि	:	13.11.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती शारदा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	05.03.1952
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	30.11.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छटवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(पेंड पे)	:	37400-67000 ग्रे०पे० 8900
(घ) वेतन	:	47970+8900=56870/-
(ङ) मूल पेंशन	:	28435/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	4213/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	24222/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	17061/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

(क) पेमेंटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	147600/-

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	73800/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नहीं
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	73800/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	4213/-

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाये

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	69587/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	44280/-
	:	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 1216/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4290/08-09 दिनांक: 31.01.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद को सेवपुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, इलाहाबाद।
4. श्री देवेन्द्र मिश्र, सं०नि० अवर अभियन्ता, 38ए/23/4/21, रामानन्द नगर अहलापुर, इलाहाबाद।
5. रायिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1271/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5166/13-14

दिनांक: 31.01.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषानगर,  
आगरा।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री ऊदल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री ऊदल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक	:	4904 दिनांक 14.06.2013- 14.06.2013
(ग) जन्मतिथि	:	20.03.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती मुलायम देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अकित नही
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.03.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	छठवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	37400-67000 ग्रेडपे 8900
(घ) वेतन	:	53560 + 8900 = 62460/-
(ङ) मूल पेंशन	:	31230/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	12492/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	18738/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	:	लागू नही
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	18738/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	40 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	161300/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	80650/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	लागू नही
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	80650/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	12492/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	:	68158/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	:	लागू नही
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	48390/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नही
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषानगर द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1271/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5166/13-14 दिनांक: 31.01.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रभाग, आगरा।
- श्री ऊदल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-56/92, वृज बिहार कालोनी, शीतला रोड, आगरा।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1260/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4142/07-08

दिनांक: 31.01.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
रायबरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री शिव सागर राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री शिव सागर राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क) पेंशन का प्रकार	:	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक	:	3485 दिनांक 20.02.2008
(ग) जन्मतिथि	:	24.01.1947
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	:	श्रीमती सरस्वती देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	:	अंकित नहीं
- सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

(क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि	:	31.01.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	:	पंचम गेतेनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)	:	16400-20000
(घ) वेतन	:	20000 + 10000 = 30000/-
(ङ) मूल पेंशन	:	14546/-
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	:	3200/-
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	:	11346/-
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	:	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	:	9000/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	:	64 छमाही
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

(क) पैमेटिक्स	:	13
(ख) निर्धारित वेतन	:	139100/-
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)	:	69550/-
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में	:	67443/-
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	:	65550/-
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)	:	67443/-
(ङ) राशिकृत पेंशन	:	3200/-
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाये	:	64243/-
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	:	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	:	41730/-
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	:	लागू नहीं
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1260/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4142/07-08 दिनांक: 31.01.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रायबरेली।
- श्री शिव सागर राम, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी ग्राम-मसोन, पो० मसोन, गाजीपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)